संख्या– 372 /26–ब0प्र0–2012–26(खा)/2006

प्रेषक,

राघवेन्द्र विक्रम सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुरखीरी,
मिर्जापुर एवं सोनभद्र, उ0प्र0 ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ : दिनांकः 13 सितम्बर,2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु जिला योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत अनुदान संख्या–81 में आयोजनागत की अवशेष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (ट्राइबल सब प्लान) के अन्तर्गत नई स्थापित एवं गत वर्ष की कार्यरत इकाईयों की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में प्राविधानित रू0 2,00,000.00 (रू0 दो लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष आठ माहो के लिये शेष धनराशि रू0 70,000/– (रू0 सत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न फॉट के अनुसार) व्यय करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है ।

2– उक्त प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का जनपदवार विवरण संलग्नक में अंकित किया गया है, उसी के अनुसार धनराशि का आहरण जनपद स्तर पर किया जायेगा।

3– जिला योजना में आवंटित धनराशि संबंधित जिला के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आहरित कर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी/प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) को उपलब्ध करायी जायेगी जिसे जिला ग्रामोद्योग अधिकारी योजना के प्रस्तर–11 में लिखित बैंक/बैंको में शीर्षक "मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना"उपादान धनराशि वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत खाता खोलकर जमा करायेगें, जिसकी सूचना मुख्यालय को प्रेषित करेगें।

4– योजनान्तर्गत धनराशि निम्न शर्तो के अनुसार स्वीकृत की जायेगी :–

(1)– उ0प्र0 के ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार नवयुवकों, परम्परागत कारीगरो एवं शिल्पियों को अधिकतम रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) की व्यक्तिगत /साझेदारी इकाईयों को राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैंकों से वित्त पोषित कराया जायेगा। आई0टी0आई0 पालीटेक्निक संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों को योजना में प्राथमिकता दी जायेगी ।

(2)– आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष व महिलाओं) को योजना के अन्तर्गत ब्याज की पूर्ण धनराशि ब्याज उपादान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी ।

(3)– कुल स्वीकृत धनराशि का 1–1–1 प्रतिशत क्रमशः जागरूकता शिविर, प्रचार–प्रसार, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए प्राविधानित होगा जिसका उपयोग सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी/प्रबन्धक, ग्रामोद्योग द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार किया जायेगा ।

(4)– राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत कराने के उपरान्त इकाईयों के सफलतापूर्वक कार्य करने एवं उसके सदुपयोग करने के उपरान्त ही ब्याज की धनराशि अनुमन्य होगी, जिसका भुगतान सीधे उद्यमियों के बैंक खाते में सम्बन्धित बैंक की मॉग के अनुसार किया जायेगा ।

(5)– सम्बन्धित उद्यमियों द्वारा कार्य बन्द करते हुए धन का दुरूपयोग करते पाये जाने पर ब्याज उपादान की धनराशि का भुगतान रोक दिया जायेगा तथा जो धनराशि भुगतान की जा चुकी है, उसकी वसूली तत्काल उद्यमियों से नियमानुसार कर ली जायेगी साथ ही बैंक की हुई ब्याज की वसूली बैंक द्वारा सीधे सम्बन्धित उद्यमियों से की जायेगी।

(6)– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7)– पूर्व में स्वीकृत धनराशि एवं स्वीकृत की जा रही धनराशि का शत–प्रतिशत उपभोग सुनिश्चित करते हुए वित्तीय प्रगति एवं लाभार्थियों की समीक्षा किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

5– नियोजन विभाग द्वारा प्रश्नगत योजना में जनपदवार आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

6– प्रस्तर–1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र संख्या–बी0एम0–8 में समाज कल्याण व वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।

7– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–"2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनागत–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–04–मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना–0401–बेरोजगार नवयुवकों/परम्परागत कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अनुदान(जि0यो0)–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा ।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–3–973/दस–2012, दिनांक 11 सितम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(राघवेन्द्र विक्रम सिंह)
विशेष सचिव ।

संख्या– 372 (1)/26–ब0प्र0–2012–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2– सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3– सम्बन्धित मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उ0प्र0 ।
4– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ ।
5– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन अनु0–4/एन0आई0सी0 की प्रति।
6– गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(एन.एच. रिजवी)
उप सचिव ।

शासनादेश संख्या–372 /26–ब0प्र0–2012–26(खा)/2006 दिनांक 13 सितम्बर, 2012 का संलग्नक।

कमांक	जनपद का नाम	धनराशि हजार रू0 में
1	पीलीभीत	8.00
2	बहराइच	8.00
3	श्रावस्ती	10.00
4	लखीमपुरखीरी	24.00
5	मिर्जापुर	10.00
6	सोनभद्र	10.00
	योग	**70.00**

(रू0 सत्तर हजार मात्र)

(एन.एच. रिजवी)
उप सचिव ।